3-9-24 पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थीगण वकील उप०।
मूल वाद का निर्णय हो चुका है।
अब इस आवेदन को आगे चलाने
का कोई औचित्य नहीं रहा।
पत्रावली इसी स्तर पर खारिज
की जाती है। पत्रावली फैसला
मुरत्तब होकर दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.11.06 14:03:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner